

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 121/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी - विक्रेता-
मै० नमकीन एण्ड बैकरी स्टोर, रेलवे स्टेशन के सामने, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईशर राम - (मालिक)-
मै० नमकीन एण्ड बैकरी स्टोर, रेलवे स्टेशन के सामने, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/5।

निर्णय

दिनांक : 14.11.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये हैं।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.03.2022 को बाद दोपहर बाद 1.00 पी.एम. का मै० नमकीन एण्ड बैकरी स्टोर, रेलवे स्टेशन के सामने, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर। पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी (विक्रेता) को अपना परिवय देकर दुकान में रखें खाद्य पदार्थ Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान में रखें शॉकेस के अन्दर एक ट्रे में लगभग 05 किलो खाद्य पदार्थ Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati को आमजन के विक्रय वारते होना बताया। Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वारते Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलग्न है।


नॉ. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati** में से 2 किलो को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा **Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati** का नगद भुगतान 400/- रूपये किया तथा केशमीगो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीगो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati** 2 किलोग्राम को एक रूपकर बराकर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1451 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1451 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।


अति. निहा कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./426/Act/2022/426 Dated 29-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1451 Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्याधिकारिता एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी गैरसो नमकीन एण्ड बेकरी स्टोर, रेलवे स्टेशन के सामने, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Besan Chakki Mithai Made in Vanaspatti** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।


परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 361 विनीवा बस्ती श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी नमकीन एण्ड बेकरी स्टोर, रेलवे स्टेशन के सामने, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस क्रमांक 23/2606 दिनांक 17.10.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में बेसन चक्की मिठाई में इन वनस्पति की जांच की गई तो बेसन चक्की मिठाई में इन वनस्पति Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बेसन चक्की मिठाई में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के बाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Besan Chakki Mithai Made in Vanaspatti** का सैम्पल K-1451 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./426/Act/2022/426 Dated 29-03-2022 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस क्रमांक 23/2606 दिनांक 17.10.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में बेसन चक्की मिठाई में इन वनस्पति की जांच की गई तो बेसन चक्की मिठाई में इन वनस्पति Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बेसन चक्की मिठाई में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।


जिला कलेक्टर (प्रशासन)
र


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Besan Chakki Mithai Made in Vanaspati" bearing Code No and Sr. No. K-1451, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted Fat does not conform the standard of Vannaspati as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011 की जीव रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 28 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 20,000-00 (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में जनक जैसानी पुत्र श्री राजेन्द्र जैसानी खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सखी से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर।